

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.12(6)नविवि/1/2020

जयपुर, दिनांक: 4 JUN 2020

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य निर्धारित करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगरीय विकास विभाग के लिए विभिन्न बजट शीर्षकों में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्यों के अनुक्रम में समस्त विकास प्राधिकरणों के लिए बजट शीर्षवार राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	बजट शीर्ष	
		0075-105-(07)-[01] (भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री)	0029-800-(07)-[03] (कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस)
		निर्धारित लक्ष्य 2020-21	निर्धारित लक्ष्य 2020-21
1.	ज.वि.प्रा., जयपुर	5100.00	1750.00
2.	जो.वि.प्रा., जोधपुर	3500.00	1150.00
3.	अ.वि.प्रा., अजमेर	2900.00	600.00
	योग	11500.00	3500.00

नोट:- समस्त प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व बजट मद भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री एवं रूपान्तरण फीस में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य, प्राधिकरणों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय अनुमानों में उक्तानुसार रखा जाये।

उपरोक्तानुसार राजस्व प्राप्तियों के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अपेक्षित है। उपरोक्त राजस्व बजट मदों में प्राप्त लक्ष्यों (राजस्व प्राप्तियों) की सूचना मासिक एवं त्रैमासिक रूप से भिजवाना भी सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

(मन्जीष गोमख)

संयुक्त शासक सचिव- प्रथम